न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 16/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		श्रीपाल जैन पुत्र सुगन चंद निवासी सदर बाजार, गोटन, नागौर। मैसर्सः – एस.एस. मार्केटिंग, मैन मार्केट, गोटन

दिनांक :06.08.2025

आदेश

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 03-09-2024 को एस.एस. मार्केटिंग, मैन मार्केट, गोटन पर खाद्य पदार्थ घी (मिल्क फुड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 3129 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1001/एक्ट /2024/1046 दिनांक 20.09.2024 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ घी (मिल्क फुड) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी के असंतुष्ट होने पर उक्त खाद्य पदार्थ घी (मिल्क फुड) की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार, नवी मुम्बई को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 10.01.2025 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ घी (मिल्क फुड) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त श्रीपाल जैन पुत्र सुगन चंद निवासी सदर बाजार, गोटन, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 14-05-2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 18.06.2025 को श्री पवन कुमार ने ऑथोरिटी लेटर पेश किया। अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने दिनांक 06.08.2025 को अपनी बहस में बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी से नमूना प्राप्त होने के पश्चात नमूने का विश्लेषण करेगा और चौदह दिन के भीतर विश्लेषण की रिपोर्ट नमूने लेने और विश्लेषण की निर्दिष्ट पद्वति को उल्लेखित करते हुए भेजेगा परन्तु उक्त रिपोर्ट 16 दिन पश्चात प्राप्त हुई। भारत का राजपत्र भाग 3 खण्ड 4 दिनांक 27.12.21 के अनुसार निर्देशित किया कि घी के फैटी एसिड संरचना का अनिवार्य अनुपालन इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन के 2 वर्ष पश्चात प्रवृत्त होंगे, जो कि उक्त नियम आज तक लागू नहीं किया गया है, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में भारत का राजपत्र दिनांक 27.12.21 की फोटोप्रति, न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उत्तर, जयपुर के प्रकरण संख्या 36/22 के निर्णय दिनांक 13.02.23 की फोटोप्रति, न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा के निर्णय दिनांक 13.10.23 की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय दिनांक 20.12.13 की फोटोप्रति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.01.95 की फोटोप्रति पेश की।

06/8/25

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जहां तक अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने भारत के राजपत्र दिनांक 27.12.21 की ओर ध्यान देते बताया कि घी के फैटी एसीड संरचना अनिवार्य अनुपालन इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन के दो वर्ष पश्चात प्रवृत होगें, इस संबंध में प्रार्थी घी (मिल्क फुड) का नमुना दिनांक 03.09.24 को लिया था, जो कि कि उक्त राजपत्र के प्रकाशन की अवधि से 2 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात लिया गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/1001 /एक्ट/2024/1046 दिनांक 20.09.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (मिल्क फुड) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी के असंतुष्ट होने पर उक्त खाद्य पदार्थ घी (मिल्क फुड) की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार, नवी मुम्बई को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 10.01.2025 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ घी (मिल्क फुड) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्रीपाल जैन पुत्र सुगन चंद निवासी सदर बाजार, गोटन, नागौर पर रूपये 5,00,000/– अक्षरे पांच लाख रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/8/25

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)